(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

———

निगरानी 4045–दो/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.11.16 पारित द्वारा तहसीलदार शिवपुरी प्रकरण कमांक 5/2016–17/अ–12

———

मुखविंदर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
निवासी – ग्राम घसारई तह0 व जि. शिवपुरी (म.प्र.) .....**आवेदक**
सुखविंदर सिंह, शेर सिंह पुत्रगण श्री महेन्द्र सिंह
निवासी – ग्राम घसारई तह0 व जि. शिवपुरी (म.प्र.) .....**फॉर्मलआवेदक**

विरुद्ध

गिर्राज दुबे पुत्र श्री सीताराम दुबे
निवासी ग्राम कोटा तह0 व जि0 शिवपुरी (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी.एम. गुप्ता
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़

———

आदेश

(आज दिनांक 03.1.18 **.....को पारित)**

यह निगरानी तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण कमांक 5/2016–17/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक गिर्राज दुबे द्वारा दिनांक 27.11.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया

कि उसके द्वारा ग्राम घसारई पटवारी हल्का नं. 67 स्थित भूमि सर्वे नं. 31/10/1 को पंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय किया गया है। प्रार्थी का नामांतरण भी हो गया है। अतः उक्त भूमि का सीमांकन किया जाए। तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर से राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं आदेश दिनांक 25.11.2016 द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुष्टि की गई। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के विपरीत है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति की गई थी कि वरिश्ठ न्यायालय में उक्त भूमि के संबंध में वाद प्रचलित होकर विचारधीन हैं यह भी आपत्ति ली गई थी कि हक संबंधी वाद सिविल न्यायालय में लंबित है और मूलतः बटवारा एवं नामांतरण के संबंध में मुकदमे लंबित होकर राजस्व मंडल में विचाराधीन हैं ऐसी दशा में सीमांकन की कार्यवाही की जाना उचित नहीं है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर कोई निर्णय पारित किये बिना सीमांकन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि सीमांकन के वक्त आवेदक को ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया ।

यह तर्क भी दिया गया कि सर्वे नंबर 31/1/1 में आवेदकों की माताजी का चबूतरा है इस परभी कोई विचार नहीं किा गया ।

4/ अनावेदकं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्व मंडल से एवं व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं था इसलिए सीमांकन की कार्यवाही को रोके जाने का कोई प्रश्न नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर सीमांकन किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण सीमांकन का है। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जो सीमांकन की कार्यवाही की गई है वह विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि अभिलेख में सीमांकन किए जाने के संबंध में कोई सूचना आवेदक या अन्य सरहदी काश्तकारों को दी गई हो, इस प्रकार का कोई सूचना पत्र उपलब्ध नहीं है। पंचनामा पर भी सरहदी काश्तकार उपस्थित थे, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तहसीलदार के अभिलेख में आवेदक शेर सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की प्रति संलग्न है। इस आपत्ति पर कोई विचार किया गया हो, इस प्रकार की कोई आदेश पत्रिका तहसीलदार के अभिलेख में संलग्न नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में की गई सीमांकन की समस्त कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार शिवपुरी द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही आवेदकगण एवं अन्य सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में की जाकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर